भारत सरकार

संस्कृति मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3078

उत्तर देने की तारीख 19.03.2026

कला संस्कृति विकास योजना (केएसवीवाई) के अंतर्गत कलाकारों को प्रोत्साहन दिया जाना

3078. श्री मिथलेश कुमार :
श्री रायगा कृष्णैया :
श्री तेजवीर सिंह :
श्री अशोकराव शंकरराव चव्हाण :
श्री उज्जवल देवराव निकम :
श्री घनश्याम तिवाड़ी :
श्री दीपक प्रकाश :

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क) पिछले तीन वर्षों के दौरान झारखंड सहित कला संस्कृति विकास योजना (केएसवीवाई) के अंतर्गत घटक-वार कितने कलाकारों और सांस्कृतिक संगठनों को सहायता प्रदान की गई है;

(ख) निर्माण अनुदान, रिपर्टरी समूहों को आवर्ती अनुदान, युवा कलाकारों को छात्रवृत्ति, वरिष्ठ और कनिष्ठ फैलोशिप और गुरु-शिष्य मार्गदर्शन सहायता के अंतर्गत वर्ष-वार वित्तीय आवंटन और उपयोग का ब्यौरा क्या है;

(ग) लाभार्थियों के चयन के लिए कौन-कौन से मानदंड अपनाए गए हैं तथा क्षेत्रीय और लैंगिक संतुलन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) क्या मंत्रालय कलाकारों की आजीविका को सुदृढ़ करने और विविध कला रूपों को प्रोत्साहन देने के लिए इन घटकों के अंतर्गत वित्तीय सहायता बढ़ाने या कवरेज का विस्तार करने का प्रस्ताव करता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री

(गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) और (ख): कला संस्कृति विकास योजना के घटकों के अंतर्गत विगत तीन वर्षों के दौरान झारखंड राज्य सहित देश भर में वित्तीय सहायता और अध्येतावृत्ति प्रदान करते हुए संगीत,

नृत्य एवं पारंपरिक कलाओं सहित मंच कलाओं में संलग्न कलाकारों/संगठनों को दी गई सहायता से संबंधित विवरण **अनुलग्नक** पर दिया गया है।

(ग): पात्र लाभार्थियों जैसे कि, सांस्कृतिक संगठनों और स्वतंत्र कलाकारों को सभी आवश्यक सहायक दस्तावेजों के साथ अपने आवेदन/प्रस्ताव प्रस्तुत करने होते हैं। सभी प्रकार से पूर्ण आवेदनों/प्रस्तावों की जांच इस प्रयोजनार्थ मंत्रालय द्वारा गठित विशेषज्ञ/मूल्यांकन समिति द्वारा की जाती है। यह समिति स्कीम के दिशा-निर्देशों के प्रावधानों, दी गई सांस्कृतिक प्रस्तुतियों/किए गए कार्यकलापों और अन्य संगत कारकों पर उचित रूप से विचार करने के बाद प्रत्येक प्रस्ताव/आवेदन की योग्यता के आधार पर अपनी सिफारिशें देती है।

(घ): संस्कृति मंत्रालय कलाकारों को सहायता देने तथा विभिन्न कला रूपों के संवर्धन के उद्देश्य से समाचार पत्रों, वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विज्ञापनों के माध्यम से अपनी स्कीमों के कार्यक्षेत्र का विस्तार करने हेतु निरंतर प्रयासरत है। इसके अतिरिक्त, क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र (जेडसीसी) और संगीत नाटक अकादमी (एसएनए) नियमित रूप से देशभर में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करते हैं, जिनमें लोक, जनजातीय और पारंपरिक कलाकारों को शामिल किया जाता है तथा उन्हें अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने के लिए मंच प्रदान किया जाता है।

अनुलग्नक

'कला संस्कृति विकास योजना (केएसवीवाई) के अंतर्गत कलाकारों को प्रोत्साहन दिया जाना' के संबंध में दिनांक 19.03.2026 को पूछे गए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3078 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

विगत तीन वर्षों के दौरान केएसवीवाई के अंतर्गत देश भर के लाभार्थियों की घटक-वार संख्या और संवितरित राशि

क्र. सं.	स्कीम का नाम	2022-23		2023-24		2024-25	
		लाभार्थियों की संख्या	राशि (लाख रुपए में)	लाभार्थियों की संख्या	राशि (लाख रुपए में)	लाभार्थियों की संख्या	राशि (लाख रुपए में)
1.	गुरु-शिष्य परंपरा के संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता (रेपर्टरी अनुदान)	1214	7824.70	1882	10147.60	1041	7704.70
2.	राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता	15	1160.40	22	1216.50	28	1182.98
3.	सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान	2135	3275.21	2242	2455.51	1710	3225.98
4.	हिमालय की सांस्कृतिक विरासत के परिरक्षण और विकास के लिए वित्तीय सहायता	225	468.73	199	372.55	48	85.75
5.	बौद्ध/तिब्बती संस्कृति और कला के विकास के लिए वित्तीय सहायता	401	2601.00	330	1557.36	385	2223.87
6.	स्टूडियो थिएटर सहित भवन निर्माण अनुदान हेतु वित्तीय	20	119.47	15	108.43	23	150.09

	सहायता की स्कीम						
7.	टैगोर सांस्कृतिक परिसरों (टीसीसी) के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता	1	500.00	4	1556.00	1	300.00
8.	संबद्ध सांस्कृतिक कार्यकलापों हेतु वित्तीय सहायता	0	0	0	0	2	120.00
9.	संस्कृति के क्षेत्र के उत्कृष्ट व्यक्तियों को अध्येतावृत्ति प्रदान करने की स्कीम	980	1362.60	1141	1119.00	928	1189.80
10.	विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों के युवा कलाकारों को छात्रवृत्ति की स्कीम	396	118.80	1507	452.40	1077	325.50
11.	सांस्कृतिक शोध के लिए टैगोर राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति (टीएनएफसीआर)	0	0	6	35.10	19	105.51
12.	सेवा भोज योजना	3	143.00	2	146.00	3	145.55
13.	वयोवृद्ध कलाकारों हेतु वित्तीय सहायता	3651	1859.18	3811	2896.57	4636	2609.78

झारखंड राज्य में लाभार्थियों की घटक-वार संख्या और संवितरित राशि

क्र. सं.	स्कीम का नाम	2022-23		2023-24		2024-25	
		लाभार्थियों की संख्या	राशि (लाख रुपए में)	लाभार्थियों की संख्या	राशि (लाख रुपए में)	लाभार्थियों की संख्या	राशि (लाख रुपए में)
1.	गुरु-शिष्य परंपरा के संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता (रेपर्टरी अनुदान)	13	69.18	18	100.64	13	47.65
2.	राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता	0	0	0	0	1	15.00
3.	सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान	11	14.26	7	8.00	10	12.75
4.	संस्कृति के क्षेत्र के उत्कृष्ट व्यक्तियों को अध्येतावृत्ति प्रदान करने की स्कीम	15	17.40	24	30.60	15	24.00
5.	विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों के युवा कलाकारों को छात्रवृत्ति की स्कीम	8	2.40	24	7.20	17	5.10
6.	वयोवृद्ध कलाकारों हेतु वित्तीय सहायता	7	3.59	4	3.88	3	2.76
